



कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग



फोन नं०- 05964-244117 फैक्स नं०-05964-244622 ई-मेल-cepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक  
सेवा में,

०५ / २७सी

दिनांक ०२ / ०१ / २०२३

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के अर्न्तगत हलियाडोव लछिमा ओखरानी नाचनी मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 10.00 किमी० में पड़ने वाली 4.981 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

(प्रपोजल /FP/UK/ROAD/37472/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का आदेश संख्या 8बी./U.C.P./06/131 / 2020/एफ.सी./ 1597 दिनांक 21.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	<b>प्रतिपूरक वनीकरण</b> (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.962 हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम उणी सिरतोली सविल खसरा न०16,38,393,686,769.768, 1244, 1361, 1427,1509,1691,1724,1872,1927.2346, 2487, 2556, 2559, 2563, 2676,2689,2691,2892,2831,2835,3094,3125,3149,3518,3580,3917,4023,418 2,4329,4510,4005,4003,4053,4146,4159,3796,3733 में वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88दिनांक 24.03.2022को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) प्रस्तावित सी.ए. क्षेत्र में से 3.00 हे० MDF पाया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वहां 1000 trees/ha की दर से वृक्षारोपण किया जा सकता है यदि नहीं हो guideline 8.11.17 के अनुसार अवनत वन क्षेत्र में 3.00 हे० क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय में प्रेषित करें जहां MDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 179/सात-05/2022-23 दिनांक 20.10.2022 द्वारा 9.962 हे० राज्य भूमि क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।



	विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (PL- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009- में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 4.981 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि आकस्मिक देयक के माध्यम से बाऊचर संख्या 88 दिनांक 24.03.2022 को वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। आकस्मिक देयक की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 101 वृक्ष से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
6	राज्य सरकार villege wise break up में Non forest land का योग 5.067 हे0 करना सुनिश्चित करें।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh&amp;nic&amp;in/">https://parivesh&amp;nic&amp;in/</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	State Govt- will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11-2- The State Govt- will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission-	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास	मान्य है।



	निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	
16	संबन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा।	मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।	मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे राज्य के वन विभाग के पयवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मान्य है।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic/in/">https://parivesh-nic/in/</a> ) पर अपलोड की जाएगी।	

0/c

पत्रांक 04 / 27सी  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।  
2- अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

0/c

भवदीय

*[Signature]*  
02/01/2023

(इ0 संजीव भट्ट)

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।  
दिनांक 02 / 01 / 2023

*[Signature]*  
02/01/2023

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।

*[Signature]*  
02/01/23



श्री. रमणी (जै. व. वि.) ग्राम - जणीसिरतोनी, पट्टी - ग्रामपंच, तहसी - चल्. वि. ना. पि.  
 विषय - ज. ग. जणीसिरतोनी अन्तर्गत क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु ख. प्रस्तावित सिविल धूमि के सम्बन्ध

बाता सं०	नाम धूमिधर एवं धूमिकीसैणी	खसरा सं०	क्षेत्रफल (है.) में	विवरण	
38	उत्तराखण्ड सरकार सैणी 9(3) डू बंजर काबिल आबाद - १.	16 30 122 ↓ 393 396 416 ↓ 686 688 689 ↓ 766 767 768 ↓ 1244 1246 1247 ↓ 1361 1368 1369 ↓ 1403 1419 1421 ↓ 1427 1430 1431 1447 ↓ 1509 1510 1515 ↓ 1682 1689 1691 ↓ 1724 1782 1789	0.580 0.123 0.013 ↓ 0.113 0.040 0.004 ↓ 0.085 0.006 0.005 ↓ 0.091 0.132 0.107 ↓ 0.460 0.066 0.028 ↓ 0.127 0.008 0.011 ↓ 0.060 0.030 0.014 ↓ 0.085 0.026 0.004 0.053 ↓ 0.378 0.043 0.025 ↓ 0.106 0.035 0.190 ↓ 0.503 0.033 0.008	पंचायत एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के सहायक सचिव के तहसी 8 बी/ग्रं. रा. सं. 0.06/1.31/20.20/एफ. सी. 119.97 दिनांक 21-10-2020 तथा ज. ग. जणीसिरतोनी अन्तर्गत ज. ग. 2 के मासनादेश सं. 2/1.3/17/18/11/2012-18 (20) 2010 दिनांक 17.12.2012 में निर्दिष्ट गांव की नूतन सिविल धूमि मर्यादा विवरण के आदेश सं. 1/9/सत-05/2023-23 दिनांक 23.07.2022 के प्रस्ताव ग्राम - जणीसिरतोनी, पट्टी - ग्रामपंच, तहसी - चल्. वि. ना. पि. के खसरा सं. 16 रकबा 0.580, 30 रकबा 0.123, 122 रकबा 0.013, 393 रकबा 0.113, 396 रकबा 0.040, 416 रकबा 0.004, 686 रकबा 0.085, 688 रकबा 0.006, 689 रकबा 0.005, 766 रकबा 0.091, 767 रकबा 0.132, 768 रकबा 0.107, 1244 रकबा 0.460, 1246 रकबा 0.066, 1247 रकबा 0.028, 1361 रकबा 0.127, 1368 रकबा 0.008, 1369 रकबा 0.011, 1403 रकबा 0.060, 1419 रकबा 0.030, 1421 रकबा 0.014, 1427 रकबा 0.085, 1430 रकबा 0.026, 1431 रकबा 0.004, 1447 रकबा 0.053, 1509 रकबा 0.378, 1510 रकबा 0.043, 1515 रकबा 0.025, 1682 रकबा 0.106, 1689 रकबा 0.035, 1691 रकबा 0.190, 1724 रकबा 0.503, 1782 रकबा 0.033, 1789 रकबा 0.008	पंचायत एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के सहायक सचिव के तहसी 8 बी/ग्रं. रा. सं. 0.06/1.31/20.20/एफ. सी. 119.97 दिनांक 21-10-2020 तथा ज. ग. जणीसिरतोनी अन्तर्गत ज. ग. 2 के मासनादेश सं. 2/1.3/17/18/11/2012-18 (20) 2010 दिनांक 17.12.2012 में निर्दिष्ट गांव की नूतन सिविल धूमि मर्यादा विवरण के आदेश सं. 1/9/सत-05/2023-23 दिनांक 23.07.2022 के प्रस्ताव ग्राम - जणीसिरतोनी, पट्टी - ग्रामपंच, तहसी - चल्. वि. ना. पि. के खसरा सं. 16 रकबा 0.580, 30 रकबा 0.123, 122 रकबा 0.013, 393 रकबा 0.113, 396 रकबा 0.040, 416 रकबा 0.004, 686 रकबा 0.085, 688 रकबा 0.006, 689 रकबा 0.005, 766 रकबा 0.091, 767 रकबा 0.132, 768 रकबा 0.107, 1244 रकबा 0.460, 1246 रकबा 0.066, 1247 रकबा 0.028, 1361 रकबा 0.127, 1368 रकबा 0.008, 1369 रकबा 0.011, 1403 रकबा 0.060, 1419 रकबा 0.030, 1421 रकबा 0.014, 1427 रकबा 0.085, 1430 रकबा 0.026, 1431 रकबा 0.004, 1447 रकबा 0.053, 1509 रकबा 0.378, 1510 रकबा 0.043, 1515 रकबा 0.025, 1682 रकबा 0.106, 1689 रकबा 0.035, 1691 रकबा 0.190, 1724 रकबा 0.503, 1782 रकबा 0.033, 1789 रकबा 0.008

20.10.2022  
 रमणीसिरतोनी





क्र.सं.	क्षेत्रफल (हे.)	विक्रम
उपरिमत	1792	0.055
	1793	0.006
	1794	0.006
	↓	↓
	1872	0.475
	1873	0.006
	1874	0.004
	↓	↓
	1927	0.660
	1976	0.060
	2107	0.014
	↓	↓
	2346	1.332
	2380	0.014
	2402	0.005
	↓	↓
	2458	0.047
	2470	0.035
	2477	0.010
	2487	0.100
	2556	0.180
	2559	0.247
	2561	0.065
	2563	0.406
	2584	0.063
	↓	↓
	2645	0.076
	2676	0.240
	2689	0.145
	2691	0.228
	↓	↓
	2812	0.128
	2813	0.005
	2814	0.005
	↓	↓
	2831	0.187
	2835	0.137
	2867	0.010
	↓	↓
	3092	0.043
	3094	0.195
	3125	0.310
	3149	0.108
	↓	↓
	3197	0.067
	3325	0.008
	3326	0.008
	↓	↓
	3336	0.040
	3364	0.003
	3365	0.005

उपरोक्त

* 3518	0.240
3519	0.005
3520	0.005
↓	↓
* 3580	0.180
3583	0.015
✓ * 3602	0.077
↓	↓
* 3733	0.073
3735	0.016
3745	0.005
↓	↓
* 3796	0.061
3805	0.005
3813	0.004
↓	↓
* 3917	0.142
3929	0.005
3938	0.004
↓	↓
* 4023	0.120
4025	0.009
4028	0.021
↓	↓
* 4053	0.065
4071	0.005
4081	0.004
* 4083	0.048
↓	↓
* 4146	0.040
4151	0.004
4152	0.008
↓	↓
* 4159	0.052
4169	0.020
4170	0.016
* 4182	0.190
↓	↓
* 4329	0.004
4331	0.004
4334	0.002
↓	↓



धूमधर एवं धूमि की क्रिया	रपसरा संक	क्षेत्रफल (है. मी.)	विवरण
उपरोक्त	4510 4528 4537 	0.085 0.003 0.028 	-
गौग	386	13.525 है.	-

महोदय,

उद्धारण रवली नी तैयार किया।

~~20.02.2022~~  
 20.02.2022  
 (संजीव द्विवेदी)  
 संजय उपनिरीक्षक  
 क्षेत्र: ग्राम पंचायत  
 जिला-पिपरीसगढ़  
 दि. 20.02.2022



आदेश

2872  
27/11/2022

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/131/2020/एफ.सी./1997 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे० वन भूमि के बदले 9.962 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में हलियाडोब-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग विस्तार में ली जा रही 4.981 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीरिस्तोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-38 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 16 रकवा 0.580 हे०, 30 रकवा 0.123 हे०, 393 रकवा 0.113 हे०, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे०, 766 रकवा 0.091 हे०, 767 रकवा 0.132 हे०, 768 रकवा 0.107 हे०, 1244 रकवा 0.460 हे०, 1246 रकवा 0.066 हे०, 1361 रकवा 0.127 हे०, 1403 रकवा 0.060 हे०, 1427 रकवा 0.085 हे०, 1447 रकवा 0.053 हे०, 1509 रकवा 0.378 हे०, 1510 रकवा 0.043 हे०, 1682 रकवा 0.106 हे०, 1691 रकवा 0.190 हे०, 1724 रकवा 0.203 हे०, 1792 रकवा 0.055 हे०, 1872 रकवा 0.475 हे०, 1927 रकवा 0.660 हे०, 1976 रकवा 0.060 हे०, 2107 रकवा 0.014 हे०, 2346 रकवा 1.332 हे०, 2458 रकवा 0.047 हे०, 2487 रकवा 0.100 हे०, 2556 रकवा 0.180 हे०, 2559 रकवा 0.247 हे०, 2561 रकवा 0.065 हे०, 2563 रकवा 0.406 हे०, 2584 रकवा 0.063 हे०, 2645 रकवा 0.076 हे०, 2676 रकवा 0.240 हे०, 2689 रकवा 0.145 हे०, 2691 रकवा 0.228 हे०, 2812 रकवा 0.128 हे०, 2831 रकवा 0.187 हे०, 2835 रकवा 0.137 हे०, 3092 रकवा 0.043 हे०, 3094 रकवा 0.195 हे०, 3125 रकवा 0.310 हे०, 3149 रकवा 0.108 हे०, 3197 रकवा 0.067 हे०, 3336 रकवा 0.040 हे०, 3518 रकवा 0.240 हे०, 3580 रकवा 0.180 हे०, 3602 रकवा 0.077 हे०, 3733 रकवा 0.073 हे०, 3796 रकवा 0.061 हे०, 3917 रकवा 0.142 हे०, 4023 रकवा 0.120 हे०, 4053 रकवा 0.065 हे०, 4083 रकवा 0.048 हे०, 4140 रकवा 0.040 हे०, 4159 रकवा 0.052 हे०, 4182 रकवा 0.190 हे०, 4329 रकवा 0.004 हे०, 4510 रकवा 0.085 हे०, कुल 58 खेतों की 9.962 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, थल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अक्टूबर, 19, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 199 /सात- 05 /2022-23

दिनांक अक्टूबर, 20, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
4. तहसीलदार थल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।




## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में लो0नि0वि0 अन्तर्गत हलियाडोव-लछिमा-ओखरानी-नाचनी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु किमी 4.981 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अरथाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उणीसिरतोली पट्टी आमथल तहसील थल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं0-38 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काविल आबाद के खेत सं0 16 मध्ये रकवा 0.580 हे0, 30 रकवा 0.123 हे0, 393 रकवा 0.113 हे0, 886 मध्ये रकवा 0.060 हे0, 766 रकवा 0.091 हे0, 767 रकवा 0.132 हे0, 768 रकवा 0.107 हे0, 1244 रकवा 0.460 हे0 1246 रकवा, 0.066 हे0, 1361 रकवा 0.127 हे0, 1403 रकवा 0.060 हे0, 1427 रकवा 0.085 हे0, 1447 रकवा 0.053 हे0, 1509 रकवा 0.378 हे0, 1510 रकवा 0.043 हे0, 1682 रकवा 0.106 हे0, 1691 रकवा 0.190 हे0, 1724 रकवा 0.203 हे0, 1792 रकवा 0.055 हे0, 1872 रकवा 0.475 हे0, 1927 रकवा 0.660 हे0, 1976 रकवा 0.060 हे0, 2107 रकवा 0.014 हे0, 2346 रकवा 1.332 हे0, 2458 रकवा 0.047 हे0, 2487 रकवा 0.100 हे0, 2556 रकवा 0.180 हे0, 2559 रकवा 0.247 हे0, 2561 रकवा 0.065 हे0, 2563 रकवा 0.406 हे0, 2584 रकवा 0.063 हे0, 2645 रकवा 0.076 हे0, 2676 रकवा 0.240 हे0, 2689 रकवा 0.145 हे0, 2691 रकवा 0.228 हे0, 2812 रकवा 0.128 हे0, 2831 रकवा 0.187 हे0, 2835 रकवा 0.137 हे0, 3092 रकवा 0.043 हे0, 3094 रकवा 0.195 हे0, 3125 रकवा 0.310 हे0, 3149 रकवा 0.108 हे0, 3197 रकवा 0.067 हे0, 3336 रकवा 0.040 हे0, 3518 रकवा 0.240 हे0, 3580 रकवा 0.180 हे0, 3602 रकवा 0.077 हे0, 3733 रकवा 0.073 हे0, 3796 रकवा 0.061 हे0, 3917 रकवा 0.142 हे0, 4023 रकवा 0.120 हे0, 4053 रकवा 0.065 हे0, 4083 रकवा 0.048 हे0, 4140 रकवा 0.040 हे0, 4159 रकवा 0.052 हे0, 4182 रकवा 0.190 हे0, 4329 रकवा 0.004 हे0, 4510 रकवा 0.085 हे0 कुल 58 खेतों की 9.962 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 179/सात-05/2022-23 दिनांक 20.10.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

  
प्रभाषीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

  
वन क्षेत्राधिकारी  
बेरीनाग

  
(कुमाल राज)  
वु.श.  
पिथौरागढ़



Date : 22-3-2022  
Transaction ID : WO3801422903221000

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र  
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग - १  
(देखें अध्याय - आठ, प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

ग्राम का नाम : पिथौरागढ़  
 कोषागार का नाम : बेरीनाग  
 प्रपत्र की अवधि कब से ..... कब तक  
 प्रपत्र कोड : 1 0 3  
 कोषागार/उपकोषागार का कोड : 3 8 0 1  
 प्रपत्र नं. की क्रम संख्या : 3 0  
 प्रपत्र संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) : 0  
 प्रदेश/भारत : म.प्र.  
 प्रपत्र संख्या 13 अंकों का कोड (4 अंकों का कोड + मुख्य शीर्षक + 3 तपुशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)  
 - आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग  
 - आहरण वितरण अधिकारी का कोड (अधिसूचना) : 4 2 2 9  
 अधिष्ठाता का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग  
 अनुदान संख्या : (022) लोक निर्माण कार्य  
 प्रपत्र अनुदान संख्या : 14- सोर्स कोड : 1 15- सेक्टर कोड : 2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिनिधि संतन करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054) सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखाशीर्षक -	(04) District and other Roads
तपुशीर्षक -	(337) सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03) राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04) एनपीपी/बीपी का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

वाउचर दिनांक : -

5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	35909536	30873841	5035695

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	66,31,544
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	66,31,544

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	66,31,544

यह देयक प्रपत्र तैयार किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के बाद देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।


आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग  
 अधिष्ठाता का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग  
 कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

रु० 66,31,544 (Rupees Sixty Six Lacs Thirty One Thousand Five Hundred Forty Four Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।



कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422903221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896137472544	6631544	0	0	6631544
				6631544	0	0	6631544

  
 अधिकारी/उप-अधीक्षक  
 बन्साई बड, लोक निर्माण विभाग  
 दे. विभाग (सिबीरापड)



शत 4

Haliyadob Lakhima Acharandi  
Towards Nachanim/R. 6631544/-

Head of Account

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

Pass-book Voucher No.

Paid by Cheque/Cash Rupees (6631544)/=

Paid by me

RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag

Division A.E. Division the sum of the

(Sixty six Lakh Thirty one thousand five hundred

रुपय सं. 144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

रुपय - 22 (Amount in Vernacular) दि. 28/2/22

Account No. 150896137472544

Signature of Payees

E.E.

व्यक्तिगत अभियन्ता  
रुपय सं. 144/25, बी.नि.वि.  
बेरीनाग (मिथोरगढ़)

Bank of India
CAMPA Funds
V PWD BERINAG
544
06/131/2020/FC
NCHAL
berinag Pithoragarh
One Thousand Five
per following

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137472544 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896137472544 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none"> <li>This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only</li> </ul>	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com



शर्त ८

Haliyadob Lakhima Wcharandi

Head of Account

Towards Nachani m/R

Part A No 6631544/-

~~Sup~~  
A.E.

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

~~Sup~~

Cash-book Voucher No.

88

dated

24/3/22

Paid by Cheque/Cash Rupees (6631544)/=

to CAMPA

paid by me

RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag

Division A.E. Division the sum of the

(Sixty six Lakh Thirty one thousand five hundred

and forty four only

बजट सं. 144/25 budget (N.P.O.V.)/2021-22

शुद्ध - 22 (Amount in Vernacular) दि. 28/2/22

वे. सं. 380/2290322/050

दि. 23/22 Rs. 6631544/=

Signature of Payees

E.E.

व्यक्तिगत अभियन्ता  
रस्ताई बण्ड, बी.नि.वि.  
पिबोबाव (पिबोबाव)

details,